"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2003—वैशाख 19, शक 1925

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

विज्ञापन क्रमांक 02/2003/चयन

प्रकाशन तिथि 23 अप्रैल 2003 | आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 मई 2003

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ. ग. शासन के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के अधीन विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के निम्नलिखित अस्थायी पदों के लिये निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र.	विषय (विभाग)	कुल पदों की संख्या	सामान्य		अ. ज. जा.		अ. जा.		अ. पि. व.	
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
1.	एनेस्थेसिया	05	1	1	1	-	-	-	1	1
2.	बायोकेमेस्ट्री	02	1	-	-	-	1	-	-	-
3.	कम्यूनिटी मेडिसीन	03	1	1	1	-	-	-	-	-

क्र.	विषय (विभाग)	कुल पदों की संख्या	सामान्य		अ. ज. जा.		अ. जा.		अ. पि. व.	
			पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
4.	डेन्टल	01	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	डर्मेटोलाजी	01	-	-	-	-	1	-	-	-
6.	ई. एन. टी.	01	-	-	-	-	-	1	-	-
7.	फारेन्सिक मेडिसीन	01	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	मेडिसीन	03	1	-	1	-	-	-	1	-
9.	नेफ्रोलॉजी	01	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	न्यूरोलॉजी	01	1	-	-	-	-	-	-	-
11.	न्यूरोसर्जरी	02	1.	-	-	-	-	-	1	-
12.	ओब्सटेट्रिक्स एवं गायनोकलॉजी.	03	-	2	-	-	-	-	-	1
13.	आप्थलमालॉजी	01	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	आर्थोपिडिक्स	01	1	-	-	-	-	-	-	-
15.	पेडियाट्रिक्स	04	-	1	1	-	-	1	1	-
16.	पेथालॉजी	03	1	-	-	1	1	-	-	-
17.	फार्माकलॉजी	01	-	-	-	-	-	-	1	-
18.	कार्डियोलॉजी	01	1	-	-	-	-	-	-	-
19.	साइकियाट्रिक	02	1	1	-	-	-	-	-	-
20.	रेडियो डायग्नोसीस	02	1	-	1	-	-	-	-	-
21.	रेडियो थेरेपी	01	1	-	-	-	-	-	-	-
22.	सर्जरी	02	-	1	-	-	-	-	1	-
23.	टी. बी. एण्ड चेस्ट	01	-	-	-	1	-	-	-	-
	कुल	**43**	**16**	**07**	**05**	**02**	**03**	**02**	**06**	**02**

पदों की संख्या परिवर्तनीय है.

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है. अन्य प्रदेश के मूल निवासी सभी वर्गों के आवेदकों को सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार ही माना जावेगा.

3. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्षों की परिवीक्षा पर की जावेगी.

4. **पद विवरण :- (क) श्रेणी** - राजपत्रित सेवा प्रथम श्रेणी

(ख) वेतनमान :- रुपये 10,000-325-15200/- राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त होंगे.

(ग) आवश्यक अर्हताएं :-

(1) शैक्षिक (एकेडमिक)

सहायक प्राध्यापक एनेस्थेसिया पद के लिए :-

एम. डी. (एनेस्थिसियोलाजी)/एम. एस. (एनेस्थेसिया)

सहायक प्राध्यापक बायोकेमेस्ट्री पद के लिए :-

एम. डी. (बायोकेमेस्ट्री)/एम. बी. बी. एस. सहित एम. एस-सी. (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री)/एम. एस-सी. (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री) विद पी. एच-डी. (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री) एम. एस.-सी. (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री विद डी. एस-सी. (मेडिकल बायोकेमेस्ट्री).

सहायक प्राध्यापक कम्यूनिटी मेडिसीन पद के लिए :-

एम. डी. (सोशियल एवं प्रिवेंटिव मेडिसीन)/एम. डी. (कम्यूनिटी मेडिसीन).

सहायक प्राध्यापक डेंटल पद के लिए :-

बी. डी. एस., एम. बी. बी. एस. के साथ अधिमान्यता

सहायक प्राध्यापक डर्मेटोलाजी पद के लिए :

एम. डी. (डर्मेटोलाजी एण्ड वेनेरियोलाजी)/एम. डी. (डर्मेटोलाजी-वेनेरियोलाजी एंड लेप्रोसी)/एम. डी. (डर्मेटोलाजी)/एम. डी. (डर्मेटोलाजी वेनेरियोलाजी के साथ)/एम. डी. (डर्मेटोलाजी वेनेरियोलाजी के साथ/लेप्रोसी)/एम. डी. मेडिसीन विद डी. व्ही.

सहायक प्राध्यापक ई. एन. टी. पद के लिए :-
एम. एस. (ओटो-राइनो-लेरिंगोलाजी)

सहायक प्राध्यापक फारेन्सिक मेडिसीन पद के लिए :-
एम. डी. (फारेन्सिक मेडिसीन)

सहायक प्राध्यापक मेडिसीन पद के लिए :-
एम. डी. (मेडिसीन)/एम. डी. (जनरल मेडिसीन)

सहायक प्राध्यापक नेफ्रोलॉजी पद के लिए :-
डी. एम. (नेफ्रोलॉजी)

सहायक प्राध्यापक न्यूरोलाजी पद के लिए :-
डी. एम. (न्यूरोलाजी)

सहायक प्राध्यापक न्यूरोसर्जरी पद के लिए :-
एम. एस-एच. (न्यूरोसर्जरी)

सहायक प्राध्यापक आब्सटेट्रिक्स एवं गायनोकलॉजी पद के लिए :-
एम. डी. (आब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकलॉजी)/ एम. एस. (आब्सटेट्रिक्स एंड गायनोकलाजी).

सहायक प्राध्यापक आप्थेलमोलाजी पद के लिए :-
एम. एस. (आप्थालमालाजी)/एम. डी. (आप्थालमालाजी)

सहायक प्राध्यापक आर्थोपेडिक्स पद के लिए :-
एम. एस. (आर्थोपेडिक्स)

सहायक प्राध्यापक पेडियाट्रिक्स पद के लिए :-
एम. डी. (पेडियाट्रिक्स)

सहायक प्राध्यापक पेथोलाजी पद के लिए :-
एम. डी. (पेथोलाजी)/पी. एच-डी. (पेथोलाजी)/डी. एस-सी. (पेथोलाजी).

सहायक प्राध्यापक फार्माकलॉजी पद के लिए :-
एम. डी.(फार्माकलॉजी)/एम. बी. बी. एस. विद पी. एच-डी. (मेडिकल फार्माकलॉजी)/एम. एस-सी. (मेडिकल फार्माकलॉजी विद पी. एच-डी.) (मेडिकल फार्माकलॉजी)/एम. एस.-सी.) (मेडिकल फार्माकलॉजी विद डी. एस-सी., (मेडिकल फार्माकलॉजी).

सहायक प्राध्यापक कार्डियोलाजी पद के लिए :-
डी. एम. (कार्डियोलाजी)

सहायक प्राध्यापक साइकियाट्री पद के लिए :-
एम. डी. (साइकियाट्री)/एम. डी. (साइकोलाजिकल मेडिसीन)/ एम. डी. इन मेडिसीन विद डिप्लोमा इन साइकोलाजिकल मेडिसीन.

सहायक प्राध्यापक रेडियो डायग्नोसिस पद के लिए :-
एम. डी. (रेडियो डायग्नोसिस)/एम. डी. (रेडियोलाजी)/एम. एस. (रेडियोलाजी).

सहायक प्राध्यापक रेडियोथेरेपी पद के लिए :-
एम. डी. (रेडियोथेरेपी)/एम. डी. (रेडियोलाजी)/एम. एस. (रेडियोलाजी).

सहायक प्राध्यापक सर्जरी पद के लिए :-
एम. एस. (सर्जरी)/एम. एस. (जनरल सर्जरी)

सहायक प्राध्यापक टी. बी. एण्ड चेस्ट पद के लिए :-
एम. डी. (ट्यूबरक्लोसिस)/एम. डी. (टी. बी. एंड रिस्पाइरेटरी डिसीस)/एम. डी. (मेडिसीन) विद टी. डी. डी., डी. टी. डी. या डी. टी. सी. डी./एम. डी. (टी. बी. एंड चेस्टडिसीस).

(2) अनुभव :- उपरोक्त सहायक प्राध्यापक पद क्र. 1 से 23 हेतु मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, रेगुलेशन्स 1998 के अनुसार तीन वर्ष का संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में रेसीडेंट/ रजिस्ट्रार/डिमांस्ट्रेटर/ट्यूटर के पद पर पढ़ाने का अनुभव होना अनिवार्य है.

(घ) आयु सीमा :- दिनांक 1-1-2004 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

5. उच्चतम आयु सीमा में छूटें :- (एक)

(1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7 -26-93/1 आ. प. दिनांक 20-1-1994 के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज्ड या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/ मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी. यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिये भी स्वीकार्य होगी.

(4) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण :- ''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी

सेवा में लगातार कम से कम छह माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

(6) महिलाओं के लिये शासन के नियमानुसार आयु 10 वर्ष शिथिलनीय होगी.

(7) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक की छूट आठ वर्ष की सीमा में अध्ययीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये.

(8) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी.

(दो) (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(2) आदिमजाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-सी-3/10/85/3/1 दिनांक 29-6-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 3-9-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी.

टीप :- (1) बिन्दु क्रमांक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी. यह छूट बिन्दु क्रमांक 1 में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी.

उदाहरणार्थ :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीनकार्ड धारक तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी

अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक है तो उन्हें अनु. जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीनकार्ड धारकों के लिये 2 वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा.

(2) उपरोक्त 5 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी.

6. आवेदन-पत्र भरने के संबंध में निर्देश/जानकारी :-

आवेदन-पत्र पांच प्रपत्रों में सन्निहित है :-

(1) प्रपत्र एक - आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों, अंक-सूचियों, उपाधि/पत्रोपाधि तथा अन्य दस्तावेजों की जानकारी का उल्लेख प्रपत्र-एक में करें.

(2) प्रपत्र दो - आवेदन-पत्र.

(3) प्रपत्र तीन - कम्प्यूटर पत्रक (कम्प्यूटर फार्म)

(4) प्रपत्र चार - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप.

(5) प्रपत्र पांच - अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप

आवेदन-पत्र का प्रपत्र एक, दो तथा तीन, सभी आवेदकों द्वारा भरा जाना है. प्रपत्र चार में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना है. प्रपत्र पांच में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है. अन्य किसी प्रपत्र में दिया गया जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा.

7. आवेदन शुल्क :-

(अ) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिये जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर रु. 25/-

(ब) शेष सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये रु. 50/-

उपरोक्त शुल्क प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ देय है. यह शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किया जायेगा. बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, बैंक खाता क्रमांक 03314 भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर के नाम से बनवाकर भेजना आवश्यक है. यह बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है. रायपुर शहर के आवेदकों से बैंक ड्राफ्ट के स्थान पर बैंकर्स चेक भी स्वीकार किया जा सकेगा. आवेदक बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे अपना पूरा नाम तथा गांव/शहर का नाम/ पता अवश्य लिखें.

टीप :- प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों के संलग्न बैंक ड्राफ्ट भी नहीं लौटाये जायेंगे.

8. आवेदक आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने अथवा लिखित परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान

लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

9. आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अवश्य भेजी जानी चाहिये. इनके अभाव में आवेदन-पत्र अपूर्ण मा[illegible] अस्वीकार कर दिया जायेगा और इस संबंध में आयोग द्वारा कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा.

(अ) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रीकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण-पत्र.

(ब) शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण, यथा-उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि एवं अन्य.

(स) हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन सभी सार्वजनिक परीक्षाओं की, जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, समस्त वर्षों/सेमिस्टर की अंकसूचियां.

(द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र-चार में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक प्रपत्र-पांच में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र. (यदि इस आधार पर कोई रियायत चाही गई हो.)

(य) तदर्थ रूप शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है.

(र) उपरोक्त कंडिका-5 (एक) (3), (4) एवं (5) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र.

(ल) कंडिका-5 (एक) (8) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिये विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र.

(व) कंडिका-5 (दो) (1) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट के लिये ग्रीनकार्ड.

(श) कंडिका-5 (दो) (2) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र.

(ष) कंडिका-5 (दो) (3) के अंतर्गत आयु सीमा में छूट के लिये **'विक्रम पुरस्कार'** प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र.

(स) आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट.

10. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों/मंडलों/राज्य शासन के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत आवेदक अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सीधे आयोग को भेज सकते हैं, परन्तु इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिये निवेदन कर देना चाहिए, जिसकी प्रति आवेदक को नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त प्राप्ति की अभिस्वीकृति सहित साक्षात्कार के समय आयोग में प्रस्तुत करना होगा. तत्पश्चात् यदि आयोग को एक माह के भीतर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आयोग द्वारा यह मान लिया जायेगा कि नियोजक को कोई आपत्ति नहीं है.

11. चयन प्रक्रिया :-

यदि किसी विषय में अपेक्षाकृत कम संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं और आयोग के मत में उन विषयों के पदों पर चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा करना आवश्यक प्रतीत नहीं है तो उन विषयों में केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन करने पर आयोग विचार कर सकता है, किन्तु यदि किसी विषय के विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिये सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यावहारिक नहीं हो तो आयोग उन पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर साक्षात्कार हेतु आवेदकों की संख्या को यथोचित सीमा तक (विज्ञापित पदों की संख्या के तीन गुने के अनुपात में) कम कर सकेगा. ऐसी स्थिति में प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा. प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन का निर्णय आयोग द्वारा लिये जाने पर संबंधित आवेदकों से परीक्षा शुल्क अलग से लिया जायेगा.

12. (अ) ऐसे उम्मीदवार को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

(एक) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

(दो) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(तीन) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(चार) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(पांच) चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(नौ) उनके प्रवेश-पत्र में उम्मीदवारों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर) जिन्हें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(दस) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो.

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले आवेदकों को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(क) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये निम्नलिखित से विवर्जित किया जायेगा-

(एक) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से.

(दो) राज्य शासन द्वारा या/तथा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाई के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि-

(एक) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो.

(ब) पहचान चिन्ह-

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखे. उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करे, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके. उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है. परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाईन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाईट नहीं करेगा यह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा. पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी.

13. यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) लिखित परीक्षा के लिये - छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा. आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे. अतः वे प्रपत्र चार अथवा पांच जो भी लागू हो, में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा-पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा.

(ब) साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के आवेदकों को यात्रा व्यय का भुगतान नियमानुसार

14. आवेदन-पत्र का फार्म एवं अन्य बातें :-

(क) आवेदन-पत्र "रोजगार और नियोजन" में इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र एक से पांच में मूल रूप में या उसकी फोटो प्रति का प्रयोग कर सुस्पष्ट भरा जाना चाहिए. टंकित तथा हाथ से नकल किया गया आवेदन-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा.

(ख) जो आवेदन-पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रपत्र के अनुसार नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा.

(ग) कम्प्यूटर-पत्रक (प्रपत्र तीन) में दी गई जानकारी के समान ही आवेदन-पत्र (प्रपत्र-दो) में भी जानकारी दें एवं दोनों में पूर्ण साम्य रखें.

(घ) एक आवेदक से एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन-पत्र नहीं लिए जायेंगे.

(ङ) एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र रखा जाये.

(छ) पृथक्-पृथक् पद के लिये पृथक्-पृथक् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें.

15. संख्या लिखने में अंतर्राष्ट्रीय क्रमांक, यथा- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें.

16. प्रवेश-पत्र :-

यदि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है तो आयोग द्वारा यथासमय उसकी सूचना के लिये एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग उन सभी आवेदकों की जिनके भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि तक समय-सीमा में पहुंच जायेंगे आयोग उन्हें साधारण डाक से प्रवेश-पत्र भेजेगा.

यदि लिखित परीक्षा के दिनांक से 15 दिवस पूर्व तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश-पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके तत्काल पश्चात् आयोग कार्यालय से सम्पर्क करें. आयोग कार्यालय से उन्हें उनका परीक्षा केन्द्र तथा प्रवेश-पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी तथा यह सुविधा परीक्षा दिनांक से 7 दिवस पूर्व तक दी जायेगी. परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जायेगी. ऐसे आवेदकों को, जिन्होंने अंतिम तिथि तक भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचा दिये हैं, उन्हें आयोग द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र स्थान पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आवेदकों के नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे.

यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है, परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश-पत्र प्राप्त हो चुका है, तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें. केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे.

17. परीक्षा केन्द्र :-

प्रतियोगी परीक्षा के लिये (यदि आवश्यकता हुई तो) यथासंभव रायपुर परीक्षा केन्द्र रहेगा.

18. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में अन्य निर्देश :-

(अ) आवेदक अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर स्वयं के पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकायें. फोटो पर एवं आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान/स्थानों पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं.

(ब) स्वयं के पता लिखे दो लिफाफे 32 X 14 से. मी. आकार के अवश्य भेजें. आवेदन-पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 6/-

उन्हें आवेदन-पत्र के पंजीयन की सूचना आयोग द्वारा भेजी जायेगी.

(स) आवेदन-पत्र के लिफाफे पर "विज्ञापन क्रमांक एवं आवेदित पद का नाम" बड़े अक्षरों में लिखें तथा उसे रेखांकित करें. लिफाफे पर इस विवरण के बगैर प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी.

(द) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31-5-2003 है. अंतिम तिथि को 5.30 बजे अपरान्ह तक आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है. आवेदन-पत्र रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना चाहिये, किन्तु आयोग कार्यालय के काउन्टर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) में कार्य-दिवस को अंतिम तिथि तक आवेदन-पत्र दिये जा सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी. रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए माने जाएंगे. डाक में विलंब के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा.

19. आवेदन-पत्र भेजने का पता :-

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड,
रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़

20. चयन प्रक्रिया :-

यदि किसी विषय में चयन के लिये आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो परीक्षा की तिथि तथा समय, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से "रोजगार और नियोजन" में प्रकाशित किया जायेगा तथा संबंधित आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा सूचित किया जायेगा. प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुने के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा. किन्तु प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिये आवेदकों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक होगा. छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी और उनके लिये कम से कम 23% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा. आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.

21. सामान्यतया अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आवेदकों को सामान्य डाक से उनके आवेदन-पत्र में दर्शाये पते पर भेजी जाती है अतः यह पूर्वानुमान किया जाता है कि आवेदक को अंकसूची प्राप्त हो गई है, किन्तु यदि किसी आवेदक को आयोग द्वारा भेजी गई अंकसूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है, तो डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिये रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के लिये पर्याप्त डाक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रु. 25/- का रेखांकित पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, रायपुर-492 001 के नाम से भेजें. यह सुविधा अंतिम चयन परिणाम की सूचना के प्रकाशन दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध रहेगी.

22. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :-

प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन-पत्र और कम्प्यूटर शीट में दिये सभी खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें. यदि आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर, आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, आवेदन-पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा. गलत जाति प्रमाण-पत्र देने अथवा कम्प्यूटर शीट या आवेदन-पत्र में जाति संबंधी गलत कोड नंबर भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी आयोग चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक् निर्णय ले सकेगा.

मुद्रण की किसी त्रुटि के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

सचिव

प्रपत्र-एक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के संलग्न किये जाने वाले अंकसूची उपाधि/प्रमाण-पत्र आदि की प्रतियों का विवरण

आवेदित पद का नाम.. आयोग का विज्ञापन क्रमांक..

अनुक्रमांक	विवरण	अभ्युक्ति
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		
(7)		
(8)		
(9)		
(10)		

....
आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम व पता ....

प्रपत्र-दो

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

आवेदन-पत्र

(आवेदक स्वयं ही बॉल पाईंट पेन से भरें)

विज्ञापन क्रमांक-02/2003/चयन पद- विभाग

1. संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण

राशि रुपये.......................................
क्रमांक..
दिनांक..
जारी करने वाले बैंक एवं शाखा का नाम....
....

महत्वपूर्ण सूचना

1. विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और आवेदन-पत्र के प्रत्येक कॉलम के समक्ष सही जानकारी दें.
2. कृपया सुनिश्चित करें कि-
(अ) आवेदन-पत्र और कम्प्यूटर फार्म में दी गई जानकारी में कोई भिन्नता नहीं है.
(ब) पर्याप्त राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया गया है.
(स) आवेदन-पत्र और कम्प्यूटर फार्म पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.
(द) लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा गया है.

आयोग कार्यालय द्वारा भरा जायेगा	
पंजायन क्रमांक	अनुक्रमांक

आवेदक यहां फोटो पासपोर्ट आकार (5 X 7 से. मी.) का अपना नवीनतम फोटो चिपकाएं तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करें..

2. आवेदक का नाम :
हिन्दी में - श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ..
अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) Shri/Smt./Ku./Dr. ....

3. लिंग - पुरुष संकेतांक 01 लिखें
महिलाएं संकेतांक 02 लिखें

4. पिता/पति का नाम : ....

5. आवेदक का - (अ) वर्तमान डाक का पता ....
..................................पिन..................................
....

(ब) स्थायी पता : ....
....
..................................पिन..................................

6. जन्म दिनांक - (हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी या समकक्ष प्रमाण-पत्र के आधार पर, प्रमाण-पत्र संलग्न करें.)

दिनांक	माह	वर्ष	शब्दों में

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हां/नहीं

8. जन्म स्थान : ग्राम/शहर/जिला/राज्य

ग्राम/शहर	जिला	राज्य

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
यदि हां तो अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में से किस वर्ग के हैं, दर्शाया जावे. वर्ग

10. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण :- (प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि. वि. का का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	श्रेणी/प्राप्तांक	प्रतिशत	परीक्षा के विषय	शैक्षणिक संस्था का नाम	प्रमाण-पत्र क्रमांक
हाईस्कूल/मैट्रिक्यूलेशन							
इन्टरमीडिएट/हायर-सेकेण्डरी							
स्नातक उपाधि							
स्नातक-एम.बी.बी.एस./बी. डी. एस.							
स्नातकोत्तर-एम. डी./एम. एस.							
अन्य							
अन्य							
अन्य							

11. यदि आवेदक सेवारत हों या पहले कहीं सेवारत रहे हों, तो ऐसी सेवा का पूरा विवरण दें :- (प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें.)

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति कब से कब तक	कुल मासिक वेतन महंगाई भत्ते सहित	प्रमाण-पत्र क्रमांक

12. यदि आवेदक आयु-सीमा में छूट चाहता है तो विज्ञापन के अनुसार छूट का क्रमांक लिखें तथा उससे संबंधित प्रमाण संलग्न करें. ....

13. क्या आवेदक कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया या किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, या उनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, यदि हां तो विवरण दें. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में चल रहा है ? ....
....
....

14. यदि आवेदक संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें - ....
....

घोषणा-पत्र

मैं .... घोषणा करता/करती हूं कि मैंने उक्त पद हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक.............. का पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ही इस आवेदन-पत्र को भरा है. मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है तथा कम्प्यूटर फार्म में दी गई जानकारी समान है. यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है या छिपाई जाना पाई जाती है तो आयोग द्वारा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जो मुझे मान्य होगी.

स्थान ....

दिनांक ....
आवेदक के हस्ताक्षर

Computer Form प्रपत्र-तीन

CHHATTISGARH PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No......................... POST ....
DEPARTMENT........................

(All Columns excepting of the Registration number and Roll number to be filled in by the applicant himself in English in capital letters by Ball point pen.)

Note :- 1. As far as possible, use the Computer Form printed in the advertisement or its photocopy. If typed copy is used, it should be identical in all respects to that of the printed one.
2. The Information given in the Computer Form must tally in all respects with the information given in the application form.

1. Particulars of the Bank Draft

Amount and Number Rs. ☐ Paise ☐ ☐
Date of issue ☐ ☐ ☐
Name of the issuing Bank and its Branch ☐ ☐

Registration Number ☐
Roll Number ☐

2. Name of the applicant Shri/Smt./Ku./Dr. ☐ 25 Blocks

3. Sex : For Male Code No. 1 and Female Code No. 2 ☐ 1 Block

4. Father's/Husband's name ☐ 25 Blocks

5. Postal Address ☐ 30 Blocks
(Do not write name, write only postal address) ☐ 30 Blocks
☐ 30 Blocks Pincode ☐ 6 Blocks

6. Date of Birth as indicated in High School/ Higher Secondary or equivalent certificate. Date ☐ Month ☐ Year ☐

7. Are you an original resident of C. G.
If yes write Code Number 01
If not write Code Number 02
☐ 2 Blocks

8. Details of Place of Birth
1. Town/City ☐ 15 Blocks
2. District ☐ 15 Blocks
3. State ☐ 20 Blocks

9. Category : In case the applicant is a domicile of C. G. Please indicate code No. of the Category belonged to from the table given below.

Category	Code Number
General	01
Scheduled Caste	02
Scheduled Tribe	03
Other Backward Class	04

☐ 2 Blocks

(All the applicants belonging to Other States will be treated as General Candidates. Irrespective of their casts/tribe)

Declaration

I hereby declare that the entries made above are true to the best of my knowledge and belief and that the information given in this Computer Form and the application form are identical in all respects. I have read the advertisement and understood the same. If any entry or information is found to be untrue or that any material information is concealed, I shall be liable to action as may be deemed proper.

....
Signature of the Candidate

ऐसे उम्मीदवार जो छ. ग. शासन द्वारा अधिसूचित नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के नाते आयु संबंधी या अन्य सुविधायें चाहते हैं तो वे संबंधित प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :-

प्रपत्र-चार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग —————— जिला —————— छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक —————— प्रमाण-पत्र क्रमांक —————— प्रकरण क्रमांक ——————

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ——————
पिता/पति का नाम —————— निवासी ग्राम/नगर ——————
प. ह. नं. —————— तहसील —————— जिला —————— संभाग ——————
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इन जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह —————— जाति/जनजाति अनुसूचित एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक —————— पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी —————— पिता/पति का नाम ——————
अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ——————
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये —————— है.

हस्ताक्षर
दिनांक प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रपत्र-पांच

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग —————— जिला —————— छत्तीसगढ़ ——————

पुस्तक क्रमांक —————— प्रकरण क्रमांक ——————

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ——————
आत्मज श्री —————— निवासी ग्राम ——————
जिला/संभाग —————— छ. ग. के निवासी हैं जो ——————
जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री —————— और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला ——————

संभाग —————— में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री —————— क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आता है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची क्र. कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आ. प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की सूची के कालम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी —————— के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये —————— है.

हस्ताक्षर
दिनांक :
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मंजारा सोनवानी पति श्री शंकर दयाल ग्राम सेन्दरी, थाना बाराद्वार, तहसील सक्ती जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़) की रहने वाली हूं जो कि मैं अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती कौशिल्या सोनवानी पति श्री शंकर दयाल सोनवानी रख ली हूं अतः भविष्य में मुझे इसी नाम श्रीमती कौशिल्या सोनवानी पति श्री शंकर दयाल सोनवानी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती मंजारा सोनवानी पति श्री शंकर दयाल सोनवानी ग्राम सेन्दरी, थाना बाराद्वार तह. सक्ती जिला जांजगीर-चांपा.	श्रीमती कौशिल्या सोनवानी पति श्री शंकर दयाल सोनवानी ग्राम सेन्दरी, थाना बाराद्वार तह. सक्ती जिला जांजगीर-चांपा.

नाम परिवर्तन

मैं, मयूर सरकार आत्मज के. पी. सरकार निवासी एवेन्यू-ई, ब्लाक 2-जी, सेक्टर 6, भिलाई नगर अपना नाम परिवर्तन कर विश्वजीत सरकार आत्मज के. पी. सरकार कर लिया है अतः भविष्य में मुझे विश्वजीत सरकार आत्मज के. पी. सरकार के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मयूर सरकार आत्मज के. पी. सरकार एवेन्यू-ई, ब्लाक 2-जी, सेक्टर-6, भिलाई नगर.	विश्वजीत सरकार आत्मज के. पी. सरकार एवेन्यू-ई, ब्लाक 2-जी, सेक्टर-6, भिलाई नगर.

नाम परिवर्तन

मैं, कुमारी शिवांगनी दुबे पिता श्री अरुण कुमार दुबे निवासी ए/41, आदर्श नगर दुर्ग (छ. ग.) के नाम से जानी पहचानी जाती थी जो अब अपना नाम परिवर्तन कर कुमारी तनुष्का दुबे पिता श्री अरुण कुमार दुबे के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय एवं अर्ध-शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम कु. तनुष्का दुबे पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. शिवांगनी दुबे पिता श्री अरुण कुमार दुबे निवासी ए/41, आदर्श नगर दुर्ग (छ. ग.)	कु. तनुष्का दुबे पिता श्री अरुण कुमार दुबे निवासी ए/41, आदर्श नगर दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

मैं, नोहर सिंह कुर्रे निवासी एम. आई. जी. 1/2875 एम. पी. एच. बी. औ. क्षेत्र भिलाई (छ. ग.) अपने पुत्र तानिश कुमार नाम परिवर्तन कर दीपक कुमार आत्मज नोहर सिंह कुर्रे निवासी एम. आई. जी. 1/2875 एम. पी. एच. बी. औ. क्षेत्र भिलाई कर लिया है अतः भविष्य में उसे दीपक कुमार आत्मज नोहर सिंह कुर्रे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
तानिश कुमार आत्मज नोहर सिंह कुर्रे	दीपक कुमार आत्मज नोहर सिंह कुर्रे एम. पी. एच. बी. औ. क्षेत्र, भिलाई (छ. ग.) 490026.

उपनाम परिवर्तन

मैं, डॉ. दिलीप कुमार साहू, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी रायपुर केन्द्र, सूचित करता हूं कि मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर लिया है. अतः मुझे भविष्य में डॉ. दिलीप कुमार जिपकाटे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
डॉ. दिलीप कुमार साहू बीमा चिकित्सा पदाधिकारी रायपुर केन्द्र.	डॉ. दिलीप कुमार जिपकाटे बीमा चिकित्सा पदाधिकारी रायपुर केन्द्र.

उपनाम परिवर्तन

मैं, जोगेशचन्द्र शील पिता श्री मनोरंजन शील निवासी कुम्हारपारा वार्ड नं. 29 जगदलपुर जिला बस्तर अपना उपनाम परिवर्तन कर जोगेशचन्द्र राय पिता श्री मनोरंजन राय कर लिया है अतः भविष्य में मुझे जोगेशचन्द्र राय के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
जोगेशचन्द्र शील पिता मनोरंजन शील कुम्हारपारा वार्ड क्रमांक 29, जगदलपुर जिला बस्तर.	जोगेशचन्द्र राय पिता मनोरंजन राय कुम्हारपारा वार्ड क्रमांक 29, जगदलपुर जिला बस्तर.

उपनाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार आत्मज श्री आर. पी. दीक्षित निवासी क्वा. नं. 44/सी, सड़क नं. एवेन्यू-सी, सेक्टर नं. 1 भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) अपना उपनाम परिवर्तित कर मनोज कुमार दीक्षित पिता आर. पी. दीक्षित कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे मनोज कुमार दीक्षित पिता आर. पी. दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मनोज कुमार पिता श्री आर. पी. दीक्षित	मनोज कुमार दीक्षित पिता श्री आर. पी. दीक्षित क्वा. नं. 44/सी., सड़क नं. एवेन्यू-सी, सेक्टर नं. 1 भिलाई नगर.

नाम परिवर्तन

I, Irshad Ahmed Ansari (29, yrs.) S/o Mohmmed Zubair, R/o Zone-I, BMY Charoda Bhilai, Durg District Chhattisgarh do solemnly state that the name of my father is Mohmmed Zubair (MD. Zubair) as per my H.S.S.C. Diploma & Degree Marksheet. by mistake my S.S.C. Certificate and Caste Certificate has the name of father as Mohmmed Juber which is not correct. I state that both name Mohmmed Zubair (MD. Zubair) and Mohmmed Juber is sole of Mohmmed Zubair (MD. Zubair) and he is my father.

Incorrect Name	**Correct Name**
Mohmmed Zuber	Mohmmed Zubair

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर जिला सरगुजा (छ. ग.)

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) के समक्ष :—

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उप-धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करता हूं.

अब इसलिये मैं, निर्मल तिग्गा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर जिला सरगुजा, लोक न्यास का पंजीयन मेरे न्यायालय में वर्ष 2002 के जुलाई मास के 02 तारीख पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

[लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण]

मां बागेश्वरी देवीधाम लोक न्यास.	ग्राम कुदरगढ़ ग्राम पंचायत धूर तहसील सूरजपुर जिला सरगुजा.	पूजा स्थल एवं परिसर भूमि.

निर्मल तिग्गा,

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक
लोक न्यास, दुर्ग (छ. ग.)

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिए]

सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951, (1951 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

चूंकि मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार ट्रस्ट निकुम निवासी दुर्ग तहसील दुर्ग ने जिला मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951, (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई न्यास पंजीयन के लिए आवेदन किया है एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 मार्च, 2003 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो तो सूचना उसे लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 10 मार्च, 2003 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षिति जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्परि का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(1) लोक न्यास का नाम - गायत्री परिवार ट्रस्ट निकुम.
(2) लोक न्यास की संपत्ति-

चूंकि श्री बिहारी लाल जी छोटा मठ ट्रस्ट को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के आवेदक श्री केजूराम सिन्हा आत्मज स्व. लेड़गाराम सिन्हा साकिन गयानगर वार्ड नं. 3 तहसील व जिला दुर्ग ने आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 4-4-2003 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, एस. आर. बांधे, पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 4-4-2003 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति को कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम — श्री बिहारी लाल जी छोटा मठ ट्रस्ट मठपारा, वार्ड नं. 03, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
2. लोक न्यास की सम्पत्ति — 5000/- (पांच हजार रुपये नगद)

एस. आर. बांधे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक
लोक न्यास, कोरबा

प्ररूप-पांच
[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951, (1951 का 30) और मध्यप्रदेश न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]
लोक न्यासों के पंजीयक कोरबा के समक्ष

यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उप-धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब, इसलिए मैं अनुविभागीय अधिकारी लोक न्यासो का पंजीयक कोरबा जिला मेरे न्यायालय में 2003 के 3 के 29 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने का प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के

भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

[लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण]

गायत्री परिवार ट्रस्ट गायत्री शक्ति पीठ पावर हाऊस चौंक, कोरबा.	1.	गायत्री शक्तिपीठ पावर हाउस रोड, कोरबा.
	2.	ख. नं. 188/1 से रकबा 200 x 125= 25000 वर्ग फीट.
	3.	एस. बी. आई. में एफ. डी. आर. 3,60,600.00
	4.	एस. बी. आई., कोरबा सेविंग एकाउन्ट नं. - 01100050078

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, धमतरी, जिला धमतरी (छ. ग.)

प्रकरण क्रमांक 2 ब/113/वर्ष 2001-2002.—आवेदक जगतूराम साहू पिता शिवनाथ साहू अध्यक्ष निवासी, ग्राम दुधवारा तहसील मगरलोड जिला धमतरी द्वारा एवं अन्य 12 ने "भगवान शिव पार्वती मंदिर ट्रस्ट समिति" ग्राम दुधवारा का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 30-4-2003 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी दिनांक को स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवे. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अचल संपत्ति का विवरण

1. ग्राम दुधवारा प. ह. नं. 47/80 रा. नि. मं. मगरलोड, तहसील कुरूद जिला धमतरी में फलवाबाई पति धनवार नाई के नाम पर ख. नं. 625, 798, 978 रकबा क्रमशः 0.92, 0.06, 0.14 कुल ख. नं. 03 रकबा 1.12 एकड़ लगान 3.56 रुपये.

जी. आर. राना,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

कार्यालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक 387/क/वा. 1/अ. वि. अ./2003.—चूंकि आवेदकगण डॉ. राजीव हरीदास वल्द श्री मधुकर हरीदास, श्री पुरुषोत्तम हरीदास वल्द श्री प्रभाकर हरीदास, श्री सतीश हरीदास वल्द प्रभाकर हरीदास, श्री सुधीर हरीदास वल्द श्री प्रभाकर हरीदास, श्री रविन्द्र हरीदास वल्द प्रभाकर हरीदास निवासी सिविल लाईन रायपुर के अधिवक्ता द्वारा :-

"माता दंतेश्वरी मेडिकल एण्ड ट्रायवल रिसर्च फाउण्डेशन पब्लिक ट्रस्ट" के नाम से म. प्र. (छ. ग.) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गयी संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन-पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर के समक्ष दिनांक 19-5-2003 को होगी.

(2) यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकृत की जाने वाली ट्रस्ट अथवा उसकी संपत्ति में अभिरुचि हो तथा उक्त ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के माह की अवधि में पंजीयक सार्वजनिक न्यास रायपुर के समक्ष में अपने लिखित वक्तव्य (आपत्ति-सुझाव) की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी दिनांक 19-5-2003 को स्वतः या अपने वकील या एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

सार्वजनिक ट्रस्ट :- का नाम	माता दंतेश्वरी मेडिकल एण्ड ट्रायवल रिसर्च फाउण्डेशन पब्लिक ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय 62 आनंदनगर, सिविल लाईन, रायपुर.
सार्वजनिक ट्रस्ट की चल संपत्ति :-	आवेदकगणों के पास रुपये एक लाख नगद में होना बताया गया है.
सार्वजनिक ट्रस्ट की अचल संपत्ति :	निरंक है.

रमेश शर्मा,
पंजीयक.